Research Paper Political Science

# अनुसूचित जाति की संगठित राजनीति के सामाजिक परिणाम

# Social Consequences of Organized Politics of Schedulled Caste

* Dr. Surya Bhan Singh

* Assistant Professor & Co-ordinator Deptt. of Political Science, Uttarakhand Open University, Haldwani, Nainital

**ABSTRACT**

परंपरागत भारतीय सामजिक व्यवस्था में वर्णव्यवस्था के अतिरिक्त एक समुदाय रहा है, जिसे अनुसूचित जाति के नाम से जाना जाता है, जो सामाजिक निर्योग्यताओं का शिकार रहा है। इन सामाजिक निर्योग्यताओं में अश्पृश्यता का प्रचलन प्रमुख रूप से रहा है। इसी से जुड़ी अन्य निर्योग्यताएं खान–पान संबंधी, सामाजिक सहवास संबंधी, सार्वजनिक स्थानों पर उपस्थिति से संबंधित और जिनमें मंदिरों में प्रवेश और भोजों में भागीदारी प्रतिबंधित रही है। स्वतंत्रता के पश्चात भारत में लोकतांत्रिक शासन प्रणाली अपनाई गई है, जिसके तहत सभी भारतीय नागरिकों को अपने प्रतिनिधि चुनने और स्वयं प्रतिनिधि चुने जाने के अधिकार प्रदान किए गए। फलस्वरूप उच्च जातियों को राजनीतिक सफलता के लिए अनुसूचित जातियों के सहयोग की आवश्यकता आवश्यक हुई, जो सामाजिक निर्योग्यताओं को शिथिल करने में सहायक रहा। प्रस्तुत शोधपत्र में इन्हीं पक्षों का अध्ययन किया गया है।

**Keywords :** अनुसूचित जाति, लोकतंत्र, अश्पृश्यता, सामाजिक निर्योग्यता, निर्देशित मतदान व्यवहार

प्रस्तावना :

भारतीय समाज विविधता से परिपूर्ण है। यहां पर जाति–धर्म, भाशा और भौतिक संरचना में विविधता पाई जाती है। इस विविधता के साथ समाज में कुछ कुरीतियां प्रचलित रही हैं। इसलिए संविधान निर्माताओं के सामने यह समस्या थी कि किस प्रकार से इस विविधता को एक सूत्र में पिरोया जाए, साथ ही समाज में प्रचलित कुरीतियों को समाप्त किया जा सके। उन कुरीतियों में प्रमुख रूप से अत्यंत अमानवीय प्रकृति की सामाजिक निर्योग्यता से संबंधित रही हैं। चूंकि संसदीय लोकतंत्र में बहुमत की प्राप्ति के लिए अनुसूचित जातियों के सामूहिक समर्थन की आवष्यकता तथाकथित उच्च जातियों को चाहिए थी। इसलिए सामाजिक जीवन में प्रचलित कुरीतियों को समाप्त करने की दिषा में भारतीय राजनीतिक अभिजनों ने पहल की, जिसकी संस्थात्मक आधारषिला भारतीय संविधान के द्वारा रखी गई।

लोकतंत्रः

लोकतांत्रिक षासन प्रणाली अपनाने के पष्चात किस प्रकार से सामाजिक निर्योग्यताओं में षिथिलता आई है, यह जानने से पहले हम लोकतंत्र के अर्थ का अध्ययन करेंगे। यहाँ हम बिना पारिभाशिक जाल में उलझे केवल लोकतंत्र के सार को प्रस्तुत कर रहे हैं।

लोकतंत्र को परिभाशित करने में षासन के संगठन और उसके परिचालन के तरीकों को षामिल करना होगा जिसमें देष के सभी समुदायों की षासन में भागीदारी सुनिष्चित हो सके जिससे समाज में अब तक हांसिए पर रहने वाले समुदायों के हितों तक की सुरक्षा को गारंटी मिल सके। ''इस प्रकार लोकतंत्र वह षासन प्रणाली है, जिसमें प्रतियोगी राजनीतिक दलों की उपस्थिति में सार्वजनिक वयस्क मताधिकार के द्वारा नियतकालिक चुनाव के आधार पर षासन का गठन हो जिसमें निर्णय बहुमत से लिए जाए साथ ही अल्पमत के हित को भी सुरक्षा की गारंटी हो।''

लोकतंत्र को जब हम षाब्दिक दृश्टि से देखते हैं तो स्पश्ट है कि यह दो षब्दों से मिलकर बना है। लोक और तंत्र। 'लोक' का अर्थ संपूर्ण जनता से है। 'तंत्र' का अर्थ षासन है। इस प्रकार से लोकतंत्र का अर्थ है जनता का षासन। यहाँ जनता का तात्पर्य देष में निवास करने वाले समस्त भारतीय नागरिकों से है। इसमें किसी भी प्रकार का कोई भेद नहीं है, जैसा कि भारतीय संविधान के भाग–3 में मूल अधिकार के अनुच्छेद–15 में स्पश्ट रूप से प्रावधान किया गया है। धर्म मूलवंष जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर विभेद का निशेध किया जाता है। इसके साथ ही हम उन प्रावधानों को भी जानने का प्रयास करेंगे, जिसने अनुसूचित जाति को समाज की मुख्यधारा में जोड़ने का काम किया है, जिससे सामाजिक निर्योग्यताओं में काफी हद तक षिथिलता आई है और यह प्रक्रिया अनवरत जारी है, जिसका प्रमुख कारण अनुसूचित जाति के द्वारा संगठित होकर मतदान करना।

संगठित राजनीति के सामाजिक परिणामः

भारत में संसदीय लोकतंत्र अपनाया गया है, जिसमें कार्यपालिका का गठन व्यस्थापिका के निम्न सदन अर्थात लोकसभा के सदस्यों में से किया जाता हो, जो लोकतंत्र की मान्यताओं के अनुरूप है, क्योंकि यह जनप्रतिनिधि सदन है, जिनका चुनाव जनता प्रत्यक्ष रूप से वयस्क मताधिकार का आधार पर करती है। यद्यपि उच्च सदन (राज्यसभा ) के सदस्यों में से कार्यपालिका के गठन को लेकर कोई प्रतिबंध नहीं है। चूंकि मंत्रिपरिशद का कार्यकाल पांच वर्श है जो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है, जिसका कार्यकाल भी पांच वर्श है। इस प्रकार कार्यपालिका का पांच वर्श का कार्यकाल, सार्वजनिक वयस्क मताधिकार के आधार पर प्रतियोगी राजनीतिक दलों की उपस्थिति में लोकसभा का नियतकालिक चुनाव और चुनाव के बाद लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल को सरकार बनाने के अधिकार की संसदीय परंपरा के कारण, अभी तक परंपरागत भारतीय समाज में हांसिए पर रहने वाली जातियों में प्रमुख अनुसूचित जाति को भी समाज की मुख्य धारा में जुड़ने का समान संवैधानिक अधिकार प्राप्त हुआ।

ऐसा इसलिए संभव हुआ कि अब उच्च जातियों के विषेशाधिकार तो रहे नहीं। अब उनके सामने अपनी स्थिति को पुनः प्राप्त करने का एकमात्र अवसर चुनाव में सफलता प्राप्त करकर ही संभव था। सभी भारतीय वयस्क नागरिकों को मताधिकार का अधिकार प्रदान किया है, बिना किसी भेदभाव के। यही नहीं इसके आगे भी अनुसूचित जातियों को मुख्य धारा में जोड़ने के लिए लोकसभा में आरक्षण का भी प्रावधान किया गया है ।

उक्त प्रावधानों का परिणाम यह हुआ कि अब सत्ता पाने के लिए यह आवष्यक हो गया कि बहुमत का समर्थन मिले। बहुमत का समर्थन तभी मिल सकता था जबकि परंपरागत भारतीय समाज की सामाजिक निर्योग्यताओं को त्यागकर आम आदमी का राजनीतिक समर्थन प्राप्त किया जाए। इसमें भी अनुसूचित जाति का समर्थन और भी आवष्यक हो गया क्योंकि देष की आबादी का लगभग 17 प्रतिशत भाग इन्हीं का है। और प्रायः यह देखा गया है किया लगभग 35 प्रतिशत वयस्क नागरिक का राजनीतिक समर्थन प्राप्त होने पर सत्ता प्राप्त हो जाती है। देष के सबसे बड़े प्रदेष उत्तर प्रदेष जिसकी जनसंख्या लगभग 20 करोड़ है, जिसमें अनुसूचित जाति की जनसंख्या 22 फीसदी है, ऐसी स्थिति में अनुसूचित जाति का राजनीतिक समर्थन किसे प्राप्त होगा, यह महत्वपूर्ण विशय हो गया है, क्योंकि उत्तर प्रदेष में समस्त वैध मतों का लगभग 30 फीसदी जिस दल को प्राप्त हो जाता है, उसे बहुमत प्राप्त हो जाता है ।

महत्वपूर्ण बात यह है कि जब तक यह अनुसूचित जाति निर्देषित मतदान व्यवहार (इसका तात्पर्य यह है कि मतदान जब प्रभुजाति के निर्देषों के अनुसार किया जाए न कि स्वविवेक से अपने हितों के आधार पर) को अपनाती रही है, तब तक उसके प्रति समाज का रवैया विभेदकारी रहा है, जबकि भारतीय संविधान में इसको रोकने और समान अधिकार दिए जाने के व्यापक प्रावधान किए गए हैं ।

परन्तु वास्तव में उन्हें सामाजिक निर्योग्यताओं से अपने को बचाने की दिषा में महत्वपूर्ण पक्ष के रूप में बहुजन समाजवादी पार्टी का उदय था। इस दल ने अनुसूचित जातियों को सामजिक–राजनीतिक निर्योग्यताओं के कारण उनकी दयनीय स्थिति को लेकर संगठित करने का कार्य आरंभ किया, जो निष्चित रूप से बहुत ही साहस भरा और सृजनात्मक प्रयास था। इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के क्रम में इन्होंने डॉ भीमराव अंबेडकर के उन विचारों को आधार बनाया, जिसमें उन्होंने कहा है। राजनीतिक परिवर्तन पहले होना चाहिए, क्योंकि राजनीति का संबंध कहीं न कहीं सत्ता से होता है। इसलिए राजनीतिक परिवर्तन के द्वारा ही सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है, क्योंकि यदि सत्ता में अनुसूचित जाति को पर्याप्त भागीदारी नहीं प्राप्त हो सकी तो उसके सामाजिक और आर्थिक हितों की अनवरत उपेक्षा होती रहेगी।

भारत में संसदीय लोकतंत्र को अपनाने के प्रमुख कारणों में यह भी एक है। सभी जाति, धर्म, भाशा और क्षेत्र को षासन में भागीदारी प्राप्त हो सके। प्रस्तुत षोधपत्र में हम यह अध्ययन कर रहे हैं कि किस प्रकार से सार्वजनिक मताधिकार के अवसर संविधान के द्वारा प्राप्त होने पर, अनुसूचित जातियों के सामाजिक गतिविधियों में भागीदारी में अवसर का विस्तार हुआ है।

उत्तर प्रदेष के विधानसभा चुनाव–2007 और 2012 के दौरान हमने दो ऐसे विधान सभाओं को अध्ययन के लिए चुना जहां बहुजन समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के रूप में क्रमषः

क्षत्रिय और ब्राह्मण थे। यहाँ क्षेत्र का नाम प्रतीकात्मक रूप से ''दांचा'' और ''सौली'' है। इन क्षेत्रों में पाया कि दोनों उच्च जातियों (परंपरागत रूप से) के प्रत्याशियों के चुनाव कार्यालयों पर अनुसूचित जाति का सदस्य सक्रिय दिखाई दे रहे थे। उन प्रत्याशियों के कार्यकर्ता जो उन्हीं की जाति के थे, वे अपने प्रत्याशी की विजय के लिए अनुसूचित जाति के सदस्यों को किसी भी कीमत पर नाराज नहीं करना चाहते थे। इस वजह से कार्यालयों पर उनके हाथ का परोसा हुआ भोजन भी करने से नहीं कतराए। और उन्हें बाद में यह कहते हुए यह पाया गया कि एक वोट के खातिर ऐसा कर रहे हैं अन्यथा परंपरागत रूप से कहाँ संभव था। यही नहीं इसके आगे भी देखने को मिला, वह यह कि एक प्रत्याशी अनुसूचित जाति के मतदाताओं द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में गए जहाँ पर आयोजकों ने जलपान का प्रबंध किया था, जबकि प्रत्याशी जलपान कर चुके थे परन्तु एक जीर्णकाय बुजुर्ग ने आकर उनसे कहा कि साहब पानी पी लीजिए, तो उन्होंने कहा कि हम पानी पी चुके हैं, तो पुनः उस बुजुर्ग ने कहा कि साहब हमने देखा नहीं। इस बात पर प्रत्याशी ने पुनः उनके हाथ से पानी मांगकर पीया। हमारी दृश्टि से भारतीय समाज में यह ऐसा परिवर्तन दिखाई दे रहा है जो अपने आप में युगान्तकारी और अनुकरणीय है ।

यहाँ एक बात स्पश्ट करना आवष्यक हो गया है कि वह कौन–सा कारण है कि जिसके रास्ते में आने, उस रास्ते के पवित्रीकरण हेतु गंगाजल छिड़का जाता था, आज उसी के हाथ उसी घर पर पानी मांगकर पीने वालों की होड़ षुरू हो रही है? इसका उत्तर बड़ा ही सीधा–सा है और वह यह कि लोकतंत्र में सत्ता प्राप्ति के लिए बहुमत के समर्थन की आवष्यकता ने परंपरागत रूप से विषेशाधिकारयुक्त जातियों को, उच्च जाति के सदस्यों को अनुसूचित जाति के द्वार तक पहुंचा दिया और सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार ने अनुसूचित जाति को सवर्णों के समकक्ष लाकर खड़ा कर दिया। यह स्थिति निरंतर मजबूत होती हुई दिखाई दे रही हैद्य ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि जैसे–जैसे अनुसूचित जाति के मतदाता अपने मतदान व्यवहार में संगठित होते गए वैसे–वैसे इन पर लागू सामाजिक निर्योग्यताएं षिथिल होती जा रही है।

इसी प्रकार से पंचायत चुनाव में भी इनके संगठित मतदान के सामाजिक परिणाम और भी स्पश्ट होते जा रहे है, क्योंकि पंचायत चुनाव में सफलता प्राप्त करने के लिए भी स्थानीय स्तर पर भी द्विज जातियों को अनुसूचित जाति के समर्थन की आवष्यकता पड़ती है। यह स्थिति अनुसूचित जाति के समुदाय के लिए और भी लाभप्रद हो जाती है जबकि संबंधित स्थानीय चुनाव में कई सवर्ण प्रत्याशी मैदान में हों। तब उनमें होड़ षुरू होती है । इस बात कि एक ने अनुसूचित जाति के घर पान खाया तो दूसरे ने उससे आगे बढ़ने के लिए उनके यहाँ पानी पीया।

निश्कर्श :

इस प्रकार हमने इस षोधपत्र में यह पाया कि किस प्रकार से परंपरागत भारतीय समाज में अनुसूचित जाति के लिए सामाजिक निर्योग्यताएं प्रचलित थीं, जिसमें अष्पृष्यता मुख्य थी और इसमें सार्वजनिक स्थानों जैसे मंदिर, कुओं, तालाबों के प्रयोग प्रतिबंधित थे, क्योंकि इसके पीछे पवित्र और अपवित्र की अवधारणा प्रचलित थीं। परन्तु स्वतंत्रता के पष्चात संसदीय लोकतंत्र अपनाने और बिना किसी भेदभाव के इन्हें राजनीतिक अधिकार भारतीय संविधान के द्वारा प्रदान किए जाने के कारण, साथ ही लोकसभा विधानसभा में बहुमत की आवष्यकता ने सामाजिक निर्योग्यताओं को काफी हद तक षिथिल किया है और यह प्रक्रिया अनवरत जारी है।

## REFERENCES

ब्रज किशोर शर्मा – भारतीय संविधान, डी.डी. बासु– भारतीय संविधान एक परिचय, बेयर एक्ट ... भारतीय संविधान, डॉ. आर.एन. त्रिवेदी डॉ.एपी राय – भारतीय सरकार एवं राजनीति, डॉ. रूपा मंगलानी – भारतीय शासन एवं राजनीति, डॉ. प्रभुदत्त शर्मा – भारतीय प्रशासन, श्रण्ब्श्रंनींतप –The Constitution of India, राम आहूजा – भारतीय समाज, Luie Dumo – Homo Hierarchicus, M.N. Srinivas- Social Change in Modern India